सागरमाला

तटवर्ती अर्थव्यवस्था में नए आयाम

सागरमाला कार्यक्रम के जरिए देश की कोस्टल इकॉनॉमी को मजबूत किया जा रहा है, पुराने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के साथ ही, नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। हमारी सरकार ये मानती है कि हमारे कोस्ट, विकास के गेटवेज हैं। इसलिए सरकार ने कोस्ट पर कनेक्टिविटी और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया"

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

विषय सूची

1. मुख्य बिंदु 01
2. सुधार के उपाय 02
3. बढ़ती कार्यक्षमता 04
4. उत्पादकता बढ़ाने हेतु नीतियाँ 06
5. प्रक्रियाओं का एकीकरण 08
6. पहले और अब 11

प्रस्तावना

भारत की 7,500 कि.मी. लंबी तटरेखा, 14,500 कि.मी. संभावित नौचालन योग्य जलमार्गों और प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान का फायदा उठाते हुए देश में पत्तन- आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला कार्यक्रम पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। सागरमाला कार्यक्रम का प्रमुख विजन न्यूनतम अवसंरचना निवेश के साथ एक्सिम और घरेलू व्यापार के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है।

अध्याय-1

मुख्य बिंदु

- सागरमाला की संकल्पना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च, 2015 को मंजूर किया
- माननीय प्रधान मंत्री ने भारतीय तटरेखा और समुद्री क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) को 14 अप्रैल, 2016 को जारी किया
- वर्तमान में सागरमाला परियोजना में कुल 802 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल लागत 5.53 लाख करोड रु. है।
- इनमें 88,235 करोड़ रु. की 172 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 2.17 लाख करोड़ रु. की 235 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

अध्याय-2

सुधार के उपाय

- प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिक शासन
- ईओडीबी से कारोबार करने में आसानी
- बर्थिंग पॉलिसी
- संचालन नीति
- भूमि प्रबंधन के लिए नीति दिशानिर्देश
- वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
- विवाद निवारण के लिए संस्थागत तंत्र
- एंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम
- NLP-समुद्री
- जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति
- बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज (बीएसआईडी)
- ऑनलाइन एक्जिट परीक्षा
- आईडब्ल्यूटी में निजी क्षेत्र की भागीदारी
- बांग्लादेश के साथ आईडब्ल्यूटी सहयोग को बढ़ाना

- मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना
- नए बड़े पोर्ट की स्थापना

अध्याय-3

बढ़ती कार्यक्षमता

प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिक शासन

भारत में प्रमुख बंदरगाहों के प्रशासन के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई है , जिसमें उन्हें निर्णय लेने में बहुत अधिक स्वायत्तता होगी, वे विकास के 'लैंडलॉर्ड मॉडल' को अपनाकर विश्वस्तरीय बंदरगाह आधारभूत संरचना प्रदान कर सकेंगे ।

प्रमुख बंदरगाहों और शिपिंग क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस (ईओडीबी):

- **स्मार्ट पोर्ट बनाना** - पोर्ट कम्यूनिटी सिस्टम 1x; लॉजिस्टिक डाटा बैंक सेवा; आरएफआईडी समाधान; इंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम; डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी); डायरेक्ट पोर्ट एंट्री (डीपीई); स्कैनरों/कंटेनर स्कैनरों को लगाकर और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर प्रमुख पोर्टों को स्मार्ट पोर्ट बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाये जा रहे हैं ।
- **सेवाओं में डिजिटाइजेशन** - पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए नौवहन महानिदेशक ने समुद्रकर्मियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण, बायोमैट्रिक सीफरर्स आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट (बीएसआईडी) की शुरुआत की है साथ ही रेटिंग्स आदि के प्रमाण पत्र जारी करने की अपनी सेवाओं में डिजिटाइजेशन लागू किया है ।

- **सुगम डाटा फ्लो** - सभी मेजर पोर्ट में एक सेंट्रलाइज, वेब- बेस्ड पोर्ट कम्यूनिटी सिस्टम (पीसीएस) चालू किया गया है जो कॉमन इंटरफेस के जरिए अलग-अलग हितधारकों के बीच सुगम डाटा फ्लो को सक्षम बनाता है।

- **कागज रहित** - पूरी तरह से कागज रहित व्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए, ई-इन्वॉयसिंग और ई-भुगतान के साथ पीसीएस के माध्यम से ई-डीओ (इलैक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑर्डर) को अनिवार्य कर दिया गया है। दिसंबर, 2018 में पीसीए1x के एक उन्नत वर्जन को शुरू कर दिया गया है ।

- **पीसीएस** - पोर्ट कम्यूनिटी सिस्टम (पीसीएस) ने भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों और शिपिंग लाइनों/एजेंटों, सर्वेक्षकों, स्टीवडोरों, बैंकों, कंटेनर फ्रैट स्टेशनों, सीमाशुल्क ऐजेंटों, आयातकों, निर्यातकों, रेलवे/कोनकॉर, सरकारी विनियामक एजेंसियों आदि जैसे अन्य हितधारकों के लिए इलैक्ट्रॉनिक संदेशों को सुरक्षित तरीके से आदान-प्रदान करने के लिए एक सेंट्रलाइज हब के रूप में व्यापार से संबंधित दस्तावेजों/ सूचनाओं के इलैक्ट्रॉनिक फ्लो और कार्यों को जोड़ा है । बीते डेढ़ सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रख कर ,कई नयी सुविधाएँ जैसे ई-डिलीवरी ऑर्डर, ई-इन्वॉयसिंग और ई-भुगतान को पीसीएस1x मे जोडा गया है। पीसीएस 1x के माध्यम से ई-डीओ केवल डीपीडी कंटेनरों के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब सभी संरक्षक जैसे टर्मिनल, सीएफएस / आईसीडी और अन्य गैर-प्रमुख बंदरगाहों द्वारा पीसीएस 1 एक्स का उपयोग करके आगे बढ़ाया गया है।

अध्याय-4

उत्पादकता बढ़ाने हेतु नीतियाँ

बर्थिंग नीति:

नई बर्थिंग नीति अगस्त 2016 से लागू हुई। यह नीति मानदंडों का एक ढांचा देती है। इससे बंदरगाहों पर दक्षता और सभी बंदरगाहों में उत्पादकता मानदंडों में सुधार होगा।

स्टीवडोरिंग नीति:

नई स्टीवडोरिंग नीति जुलाई, 2016 से लागू की गई है। इससे पत्तनों में उत्पादकता, दक्षता और सुरक्षा में सुधार हुआ है।

भूमि प्रबंधन के लिए नीति दिशानिर्देश:

भूमि प्रबंधन के लिए नीति दिशानिर्देश सभी प्रमुख बंदरगाहों को जारी किए गए थे। बाद में, 17 जुलाई 2015 को मुख्य बंदरगाहों के लिए नीति दिशानिर्देशों को आसान करने के कुछ प्रावधानों को और स्पष्ट किया गया।

एक बारगी निपटान योजना:

महापत्तनों के स्वामित्व वाली बहुत बड़ी भूमि भारत सरकार या राज्य सरकारों के पट्टे के तहत है। पट्टे किराए पर ब्याज और जुर्माना ब्याज वसूल किया जाता है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है।कालांतर में यह किराया और जुर्माना किराया काफी बढ़ गया जो किराए के निपटान में बाधा बन गया है। महापत्तनों के इस बहुत बड़े लंबित बकाए की वसूली को सरल बनाने और गति देने के लिए पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अगस्त, 2019 को भारत सरकार/राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ बकायों के निपटान के लिए "एकबारगी निपटान योजना (ओटीएसएस)" जारी की। इसी प्रकार भारतीय निजी पत्तन एवं टर्मिनल एसोसिएशन (आईपीपीटीए) और भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) द्वारा संयुक्त रूप से एसएआरओडी-पोर्ट्स के रूप में एक नया विवाद निपटान संस्थागत तंत्र गठित किया गया है।

> पूरे तटीय इलाके को नए भारत के विकास का अहम सेंटर बनाने के लिए हम एक बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। "सागरमाला प्रोजेक्ट का एक और पहलू है और वो है ब्लू इकोनॉमी "
>
> - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अध्याय-5

प्रक्रियाओं का एकीकरण

एंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम:

एक डिजिटल पोर्ट इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए 5 मुख्य पोर्ट (मुंबई, चेन्नई, दीनदयाल, पारादीप, कोलकाता) पर एंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम (ईबीएस) लागू किया जा रहा है। इससे प्रक्रियाओं को अंतिम सहायता मिलेगी। सभी री इंजीनियर्ड प्रक्रियाएँ और प्रत्येक विभाग के प्रदर्शन और उच्च स्तर को देखा जा सकेगा और आवश्यकतानुसार नियंत्रित भी किया जा सकेगा। इसमें ईआरपी मॉड्यूल (एफआई, सीओ, एमएम, पीपी, एसडी, आदि), बंदरगाह संचालन, संपत्ति संचालन और अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (कैफेटेरिया मॉडल) का मानकीकरण भी शामिल है।इस परियोजना में नवीनतम कंप्यूटिंग उपकरणों और नेटवर्क के साथ मौजूदा बंदरगाह बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है।

एनएलपी-मैरीन :

इसके अलावा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल-मैरीन (एनएलपी-मैरीन) में पीसीएस1एक्स शुरू करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है जो सभी समुद्री हितधारकों के यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफार्म के रूप में कार्य करेगी और संपूर्ण डिजिटल

समाधान प्रदान करेगी। एनएलपी मैरीन + पीसीएस1एक्स / प्लेटफार्म की परिकल्पना पत्तन, टर्मिनलों, शिपिंग लाइन्स ऐजेन्टों, सीएफएस और सीमा शुल्क दलालों, आयातकों/ निर्यातकों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ सभी प्रकार की बातचीतों के लिए केन्द्रीय हब के रूप में की गई है।

एक केंद्रिकृत वेब आधारित अनुप्रयोग का विकास किया जाएगा जो पत्तन समुदाय वाले सदस्यों / हितधारकों के लिए (एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा) ताकि सुरक्षित रूप से संदेशो का इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान किया जा सके -

- पत्तन व्यवसाय में लेन-देन के समय तथा लागत को कम करना।
- पत्तन क्षेत्र में पेपर रहित व्यवस्था स्थापित करना।
- पत्तन समुदाय के लिए ई-कॉर्मस पोर्टल कार्यान्वित करना।
- दस्तावेजों के डुप्लीकेशन को खत्म करना।
- अनेक हितधारकों को जोड़ना।
- हितधारकों के बीच निर्बाध्य रूप से सूचना साझा करना ।

बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज (बीएसआईडी):

बीएसआईडी नई सुरक्षा व्यवस्थाएं शुरू कर रहा है, जिसमें बायोमेट्रिक चिप शामिल है जो इस सुरक्षा कार्ड आधारित पहचान पत्र में लगी हुई है प्रत्येक जारी की गई बीएसआईडी के रिकॉर्ड

का राष्ट्रीय डेटा बेस में रखरखाव किया जाता है जिससे संबंधित सूचना अंतर्राष्ट्रीय रूप से सुलभ हो सके।

मल्टीमॉडल परिवहन को प्रोत्साहित करना:

अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल अब इंटरमॉडल टर्मिनल हैं पहले वे केवल सड़क और जलमार्ग संपर्कता प्रदान करते थे। रा.ज.-1 पर, वाराणसी और साहिबगंज में दो मल्टी मॉडल टर्मिनल (एमएमटी) का निर्माण किया गया है और हल्दिया में एक और एमएमटी पूरा होने जा रहा है। इन एमएमटी में रेल संपर्कता की भी संभावना है।

नए महापत्तन की स्थापना:

फरवरी, 2020 को आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में दहाणु के वधावन में एक महापत्तन स्थापित करने के लिए 'सैद्धांतिक' रूप से स्वीकृति दी है। इस परियोजना का कुल अनुमानित लागत लगभग 65,544 करोड़ रु. है। वधावन पत्तन का विकास 'भू-स्वामी मॉडल' पर किया जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन 50% के समान या इससे अधिक की इक्विटी भागीदारी पर जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) द्वारा किया जायेगा इसमें सभी व्यापारिक गतिविधियां निजी डेवलेपरों द्वारा पीपीपी मोड के तहत द्वारा की जाएंगी।

अध्याय-6

पहले और अब

पहले:

भारतीय यातायात परिदृश्य

- FY2014–15 में भारतीय बंदरगाहों द्वारा नियंत्रित यातायात की कुल मात्रा प्रति वर्ष 1052.1 मिलियन टन (MMTPA) थी

अब:

- भारतीय बंदरगाहों की वर्तमान कार्गो हैंडलिंग क्षमता अब 1500 MMT-PA है। वहीं बढ़ते ट्रैफिक को पूरा करने के लिए 2025 तक भारतीय बंदरगाह क्षमता को 3300+ MMT-PA तक बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। इसमें पोर्ट संचालन दक्षता में सुधार, मौजूदा बंदरगाहों की क्षमता विस्तार और नए बंदरगाह विकास शामिल हैं। सागरमाला कार्यक्रम के तहत किए गए अध्ययनों के अनुसार, यह उम्मीद है कि 2025 तक, भारतीय बंदरगाहों पर कार्गो यातायात लगभग 2500 MMTPA होगा

पहले:

बुनियादी ढांचा और उसका असर

बुनियादी ढांचे की कमी के कारण

- उद्योगों को माल ले जाने और लाने में हजारों करोड़ रुपए की अतरिक्त भारी लागत पड़ती रही है
- देश की विकास गति में इस क्षेत्र की वास्तविक क्षमता की दशकों तक अनदेखी हुई

अब:

बुनियादी ढांचे के विकास का असर

- प्रोजेक्ट उन्नति के तहत, 12 प्रमुख बंदरगाहों के लिए दक्षता और उत्पादकता केपीआई में सुधार करने के लिए वैश्विक बेंचमार्क को अपनाया गया । दक्षता सुधार के माध्यम से 100 से अधिक एम एम टीपीए क्षमता को अनलॉक करने के लिए 12 प्रमुख बंदरगाहों में लगभग 116 पहलों की पहचान की गई। जिनमें से, 80 एम एम टीपीए क्षमता से अधिक को अनलॉक करने के लिए 93 पहलें लागू की गई हैं
- पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाना
- पोर्ट के नेतृत्व वाले औद्योगिकीकरण की योजना
- सागरमाला के तहत औद्योगिक और समुद्री क्लस्टर बनाने की योजना

- न्यू पोर्ट डेवलपमेंट मांग अंतर को भरने के लिए वधावन, महाराष्ट्र में एक नए प्रमुख बंदरगाह को बनाने की योजना बनाई गई है।

पहले:

सुधार की अनदेखी

बंदरगाहों के प्रशासन में सुधार दशकों तक लंबित था जिसका गम्भीर असर विकास पर पड़ा

- पुराने कानून और व्यवस्था ने बंदरगाहों के विकास की क्षमता को जकड़ रखा था

अब:

सुधार का असर

- उद्योगों को सालाना करीब रू 40,000 करोड़ की बचत होगी
- GDP के 2% तक बढ़ने की उम्मीद
- 1 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे ।
- सागरमाला परियोजना भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति ला रही है ।
- देश के तटीय क्षेत्रों में और बंदरगाहों के आसपास, बेहतर सड़कों का जाल बिछ रहा है

सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2035 तक कार्यान्वयन के लिए 5.53 लाख करोड़ रु. से अधिक के अनुमानित निवेश की 802 परियोजनाओं की पहचान की गई है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पत्तनों और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रमुख रूप से निजी या पीपीपी माध्यम से किया जा रहा है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार